न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 45/2023/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 04.12.2023
अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. हरजिन्दर सिंह आयु 61 वर्ष पुत्र स्व0 तारा सिंह जाति जट सिक्ख, निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
2. प्रताप सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र स्व0 तारा सिंह जाति जट सिक्ख, निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
3. श्रीमती हरजीत कौर आयु 50 वर्ष पत्नी स्व0 श्री मंगल सिंह जाति जट सिक्ख, निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

....अपीलार्थीगण

बनाम

1. नगर परिषद बून्दी जरिये आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक –अपीलार्थीगण
श्री कमलेश कुमार शर्मा, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार –रेस्पो0 क्र. 2

:: निर्णय ::

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 169 दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक ए.6(9)रेवे–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा सं0 1266 रकबा 0.9228 है0 किस्म गै0मु0 खसरा सं0 1269 रकबा 2.4993 है0 किस्म गै0मु0 में से 0.5500 है0 व खसरा सं0 1273 रकबा 3.9988 है0 किस्म गै0मु0 में से 1.2264 है0, खसरा सं0 1274 रकबा 1.8764 है0 किस्म गै0मु0 कुल किता 4 प्रस्तावित रकबा 4.5756 है0 (पृष्ठांकित नक्शानुसार)

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भूमि को शर्तों के अधीन नगर परिषद, बून्दी को हस्तानान्तरित (नंदीशाला हेतु) किये जाने का आदेश दिनांक 04.07.2023 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 169 दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण के द्वारा अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों से सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायलय ने गौर नहीं फरमाया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का गत 47 वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलार्थीगण काबिज है। जिस पर खाद, बीज रखने एवं तैयार फसल को रखने के लिये कमरे बना रखे हैं। अपील विषयक आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.12.2018 को मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश के विपरित हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का अपील विषयक आराजियात पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण का हित निहित है तथा हुक्म जेरअपील आदेश से हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 अभिभाषक व रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। अपील विषयक आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.12.2018 को मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश के विपरित हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का अपील विषयक आराजियात पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण का हित निहित है तथा हुक्म जेरअपील आदेश से हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक ए. 6(9)रेवे–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा सं0 1266 रकबा 0.9228 है0 किस्म गै0मु0 खसरा सं0 1269 रकबा 2.4993 है0 किस्म गै0मु0 में से 0.5500 है0 व खसरा सं0 1273 रकबा 3.9988 है0 किस्म गै0मु0 में से 1.2264 है0, खसरा सं0 1274 रकबा 1.8764 है0 किस्म गै0मु0 कुल किता 4 प्रस्तावित रकबा 4.5756 है0 (पृष्ठांकित नक्शानुसार) भूमि को शर्तों के अधीन नगर परिषद, बून्दी को हस्तानान्तरित (नंदीशाला हेतु) किये जाने का आदेश दिनांक 04.07.2023 पारित किया गया। प्रश्नगत आराजी पर नगर परिषद, बून्दी का कब्जा है तथा बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है।

6. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 169 दिनांक 04.07.2023 उचित होना प्रकट किया गया।

7. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। जबकि अपीलार्थीगण वर्तमान में भी प्रश्नगत आराजी पर काबिज हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के उक्त आराजी पर हित निहित हैं तथा हुक्म जेरअपील से हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक ए.6(9)रेवे–6/96/पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम देवपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा सं0 1266 रकबा 0.9228 है0 किस्म गै0मु0 खसरा सं0 1269 रकबा 2.4993 है0 किस्म गै0मु0 में से 0.5500 है0 व खसरा सं0 1273 रकबा 3.9988 है0 किस्म गै0मु0 में से 1.2264 है0, खसरा सं0 1274 रकबा 1.8764 है0 किस्म गै0मु0 कुल किता 4 प्रस्तावित रकबा 4.5756 है0 (पृष्ठांकित नक्शानुसार) भूमि को शर्तों के अधीन नगर परिषद, बून्दी को हस्तानान्तरित (नंदीशाला हेतु) किये जाने का आदेश दिनांक 04.07.2023 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलार्थीगण का तर्क

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। अपील विषयक आराजीयात के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.12.2018 को मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश के विपरित हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का अपील विषयक आराजियात पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार (भू.अ.), बून्दी के पत्र क्रमांक भू.अ./2023/2681 दिनांक 24.04.2023 द्वारा ग्राम देवपुरा में नगर परिषद बून्दी (नन्दीशाला हेतु) को आवंटन हेतु खसरा सं0 1266, 1273, 174, 1269 रकबा 9.2973 है0 में से रकबा 4.5756 है0 प्रस्ताव मय नकल राजस्व रिकोर्ड एवं मौका रिपोर्ट के उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को प्रस्तुत किये गये। जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि दर्ज रिकोर्ड होना अंकित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.04.2023 पटवारी हल्का अनुसार "ग्राम देवपुरा के खसरा सं0 1268 रकबा 2.0763, खसरा सं0 1269 रकबा 1.9493 है0, खसरा सं0 1273 रकबा 2.7724 है0 पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग बून्दी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है तथा उक्त विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा सं0 1266 रकबा 0.9228, खसरा सं0 1269 रकबा 0.5500 है0, खसरा सं0 1273 रकबा 1.2264 है, खसरा सं0 1274 रकबा 1.8764 है0 किता 4 रकबा 4.5756 है0 भूमि खाली पड़ी है, नगर परिषद बून्दी को नन्दीशाला हेतु प्रस्तावित है" अंकित किया गया है। साथ ही भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने के संबंध मे प्रस्तुत चेकलिस्ट के बिन्दु सं0 27 में "कोई भी स्थगन नहीं है" अंकित किया गया है। तहसीलदार, बून्दी के पत्रांक 24.04.2023 से उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को प्रेषित प्रस्ताव अनुशंषा सहित उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित किये जाने पर आदेश दिनांक 04.07.2023 से प्रश्नगत आराजी नगर परिषद बून्दी को नन्दीशाला हेतु हस्तानान्तरित की गई हैं। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी पर कब्जे के आधार पर अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलार्थीगण का किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा